

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 02.05.2024 | <p align="center">प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 01 / 2024 रामेश्वरी बनाम श्री मनीष जाटव उप जिला कलक्टर बांदीकुई व अन्य</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी श्री मनीष जाटव उप जिला कलक्टर बांदीकुई के विरुद्ध पेश किया गया है। श्री मनीष जाटव उप जिला कलक्टर बांदीकुई का स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा पैरोकार सरकार के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार के उक्त कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री मनीष जाटव पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। श्री मनीष जाटव का स्थानान्तरण हो चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री मनीष जाटव का स्थानान्तरण होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन पत्रावली संख्या 160 / 2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामेश्वरी बनाम धर्मेश माल वगैराह को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थीया रामेश्वर पत्नि जयसिंह जाति गुर्जर निवासी भाण्डेडा, बच्छी का बास, तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी रामेश्वरी बनाम श्री मनीष जाटव उप जिला कलक्टर बांदीकुई वगैरा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">(सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर, दौसा</p> | |

